

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल



बालाघाट (म.प्र.)

दूरभाष नं.-(07632-248414)
Email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./
प्रति,

6982

/बालाघाट, दिनांक 23/9/2019

विषय :-

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
कटंगी (सा.) परिक्षेत्र

बालाघाट जिले में तहसील कटंगी, वनपरिक्षेत्र कटंगी (सा0) अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरलांजी (कटंगी), ग्राम-खैरलांजी की वनभूमि में शासकीय हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदान किये जाने बाबद् ।

ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/SCH/41392/2019

आवेदक विभाग-कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (RMSA)
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

संदर्भ :-

जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (RMSA) जिला-बालाघाट (म.प्र.) का पत्र क्रमांक/आरएमएसए/2019/681 दिनांक 16.09.2019

—0—

विषयान्तर्गत उपरोक्त संदर्भित आवेदक विभाग/संस्थान- जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (RMSA) जिला-बालाघाट (म.प्र.) का पत्र क्रमांक/आरएमएसए/2019/681 दिनांक 16.09.2019 द्वारा बालाघाट जिले में तहसील-कटंगी, वन परिक्षेत्र कटंगी (सा0) परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत-खैरलांजी (कटंगी), ग्राम-खैरलांजी, प0ह0न0-8, की वनभूमि खसरा क्रमांक-358/1 के कुल रकबा 6.684 हेक्टेयर में से आवेदित भूमि का रकबा 0.809 हेक्टेयर, वनकक्ष क्रमांक-P-768 (कैफियत मद- वन, शासकीय, सरकार, बड़े झाड़ का जंगल, चरोवर) में शासकीय हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने हेतु ऑन लाईन प्रस्तुत प्रस्ताव की हार्ड कापी इस वनमंडल कार्यालय में प्रेषित किया है, जिसमें प्राप्त उपरोक्त ऑन लाईन प्रस्तुत प्रस्ताव की हार्ड कापी की मूलतः दो प्रतियां संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है। अतः उपरोक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है, कि आप स्वयं तत्काल विषयांतर्गत प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन करे एवं प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों का परीक्षण कर वनभूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित आवेदित प्रभावित वनक्षेत्र का स्थल सत्यापन आवेदक विभाग/संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से करें, एवं क्षेत्र का सत्यापन पी0डी0ए0 से भी करें। प्रस्ताव में प्रस्तावित प्रभावित वनभूमि की जानकारी वनकक्ष क्रमांक में लम्बाई, चौड़ाई एवं क्षेत्रफल सहित चतुरस्रीमाओ की जी.पी.एस. रीडिंग अक्षांश-देशांश तथा प्रभावित वृक्षों की जानकारी सहित प्रेषित की जावे।

उक्त प्रस्ताव में उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही इत्यादि पूर्ण कर एवं प्रस्ताव में संलग्न आवश्यक अभिलेखों में अपने हस्ताक्षर कर प्रस्ताव अपने स्पष्ट अभिमत एवं अनुशंसा सहित उपवनमंडलाधिकारी कटंगी (सा.) उपवनमंडल के माध्यम से उनके स्पष्ट अभिमत एवं अनुशंसा आदि सहित प्रतिवेदन वनमंडल कार्यालय को 07 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें। ताकि प्रस्ताव में नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(मूलतः प्रस्ताव की हार्डकापी 02 प्रतियों में)

(डॉ. ए.ए. अंसारी)

भा0व0स0

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट
/बालाघाट, दिनांक 23/9/19

पृष्ठा. क्रमांक/मा.चि./
प्रतिलिपि :-

6983

- (1) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आवेदक विभाग/संस्थान के पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (2) मुख्य वनसंरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित आवेदक विभाग/संस्थान के पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (3) आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र जिसकी प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (4) कलेक्टर जिला-बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र जिसकी प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (5) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र जिसकी प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।

-2-

- (6) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग, जबलपुर म.प्र. की ओर उपरोक्त विषयोंकित सन्दर्भित पत्र जिसकी प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
- (7) उपवनमंडलाधिकारी कटंगी (सा.) उपवनमंडल की ओर विषयांकित संदर्भित पत्र की छायाप्रति मय प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव की 01 हार्ड कापी सहित संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है। विषयांतर्गत वन भूमि व्यवर्तन का प्रस्ताव अवलोकन कर संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी कटंगी (सा.) परिक्षेत्र से स्थल सत्यापन एवं जांच प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त कर प्रस्तावनुसार प्रभावित वन भूमि का स्थल सत्यापन आप स्वयं भी करके प्रस्ताव में संलग्न आवश्यक अभिलेखों में अपने हस्ताक्षर कर प्रस्ताव अपने स्पष्ट अभिमत एवं अनुशंसा सहित वनमंडल कार्यालय को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
- (8) आवेदक विभाग/संस्थान- जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (RMSA) जिला-बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित आपके पत्र क्रमांक/आरएमएसए/2019/681 दिनांक 16.09.2019 एवं प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव की हार्ड कापी के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत वनभूमि व्यवर्तन के प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव के संबंध में आपको लेख कर सूचित किया जाता है, कि आप अपने अधिनस्थ संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे इस वनमंडल के संबंधित उपवनमंडल अधिकारी कटंगी (सा.) उपवनमंडल मोबाईल नं. 9424790240 तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी कटंगी (सा.) परिक्षेत्र मोबाईल नं. 9424790206 से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर उन्हें प्रस्ताव अनुसार आवेदित प्रस्तावित प्रभावित वनक्षेत्र का संबंधित वनाधिकारी की उपस्थिति में स्थल सीमांकन का कार्य कराया जाकर उन्हें संयुक्त स्थल निरीक्षण एवं क्षेत्र सत्यापन आदि का कार्य करावे। उपरोक्त कार्य में वनक्षेत्र, वनभूमि एवं वृक्षों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँचे, इसका सतर्कता से विशेष ध्यान रखा जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(मूलतः प्रस्ताव की हार्डकापी 01 प्रति में अनुक्रमांक 7 हेतु)

(डॉ. ए.ए. अंसारी)

मा0व0से0

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

OIC)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (RMSA)
जिला - बालाघाट

दूरभाष क्रमांक - 07632-239222 ई-मेल - balaghat.rmsa@gmail.com

क्र०/आरएमएसए/2019/681
प्रति,

बालाघाट दिनांक 16/09/2019

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमण्डल, बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- बालाघाट जिले में तहसील कटंगी, वनपरिक्षेत्र कटंगी (सा०) अन्तर्गत ग्राम पंचायत खैरलांजी (कटंगी), ग्राम-खैरलांजी की वनभूमि में शासकीय हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदान किये जाने बाबदे।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/SCH/41392/2019

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / मा०वि० / 5367 बालाघाट 23/07/2019

—000—

विषयांतर्गत संदर्भानुसार बालाघाट जिले में तहसील कटंगी, वनपरिक्षेत्र कटंगी (सा०) अन्तर्गत ग्राम पंचायत खैरलांजी (कटंगी), ग्राम-खैरलांजी, प०ह०न०- 8, की वनभूमि खसरा क्रमांक-358/1 के कुल रकबा 6.684 हेक्टेयर में से आवेदित भूमि का रकबा 0.809 हेक्टेयर, वनकक्ष क्रमांक- पी-768 (कैफियत मद- वन, शासकीय, सरकार, बड़े झाड़ का जंगल, चरोवर) में शासकीय हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने हेतु ऑन लाईन आवेदन प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/SCH/41392/2019 शासन की वेबसाइट में ऑन लाईन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त ऑन लाईन प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव की हार्ड कापी मय वांछित अभिलेखों सहित 04 प्रतियों में प्रेषित है। कृपया प्रस्ताव में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव की हार्ड कापी 04 प्रतियों में)

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बालाघाट

बालाघाट दिनांक 16/09/2019

पृष्ठा.क्र./आरएमएसए/2019/682
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, म०प्र० भोपाल ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर बालाघाट की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर म०प्र०।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बालाघाट

